

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पर्यया पौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग के निर्माण कार्य का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत लम्बाई 7.750 किमी०।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ~~हार~~ तोली

तहसील-धारचूला, जिला-पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पर्यया पौड़ी से तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग का कार्य। (लम्बाई 7.750 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (2.975 हे० राज्य/सिविल सोयम भूमि मलुवानिस्तारण सहित, 3.600 हे० नाप भूमि, 0.900 हे० हाल बन्दोबस्ती नक्शों में प्रदर्शित नहीं एवं भू-अभिलेखों में अंकित नहीं भूमि अर्थात् कुल 3.475 हे० वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पर्ययापौड़ी एवं तोली द्वालगांव द्वारा दिनांक 5.11.20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुवा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

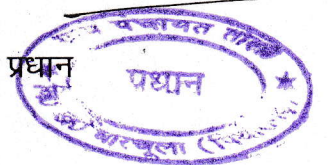
ह०/-

ग्राम सचिव



ह०/- जोति देवी कोरा

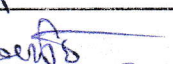
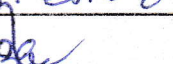
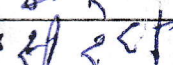
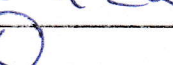
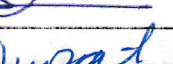
ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.1

दिनांक:- 5-1-20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:- पेय्या फौडी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	आलम सिंह	
2	रेखा सिंह	
3	विक्रम राम	
4	लक्ष्मण सिंह	
5	देवा सिंह	
6	देव सिंह देवाला	
7	देवा सिंह व्यापा	
8	मोहन सिंह	
9	अवध सिंह	
10	विक्रम सिंह	
11	देव सिंह व्यापा	
12	उमेश सिंह	
13	हरा	
14	विश्वनाथ सिंह	
15	मनोहर सिंह	
16	ललित सिंह	
17	अपाय सिंह व्यापा	
18	रविन्द्र सिंह	
19		
20		
21		
22		

ह0 / 
ग्राम प्रधान

प्रपत्र-23.1

दिनांक:-5-1-20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

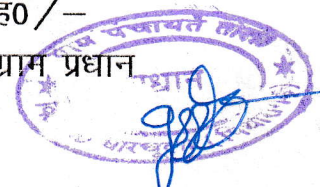
ग्राम पंचायत:- तौली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नारायण सिंह सामन्त	
2	राम सिंह	
3	दयाल सिंह जी	
4	प्रेम प्रकाश पैतौला	
5	बुधन चन्द्र पैतौला	
6	दमपन्ती पैतौला	
7	नारामण सिंह नेगी	
8	रोहित चन्द्र पैतौला	
9	नीलू पैतौला	
10	कमल सिंह	
11	मोहन सिंह	
12	मदन सिंह	
13	देवेन्द्र सिंह कार्की	
14	पुष्पाद सिंह सामन्त	
15	बनाराम जी	
16	अनाम	
17		
18		
19		
20		
21		
22		

05-01-2020

ह0/-

ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैय्यापौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -

तहसील-धारचूला, जिला-पिथौरागढ़

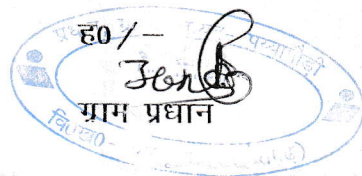
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैय्यापौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, लम्बाई 7.7.50 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य है० आरक्षित वन भूमि, 3.825 है० सिविल सोयम भूमि, ... 2.25 है० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 3.825 है० वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बैड़ा द्वारा दिनांक 5-01-20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पैय्यापौड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पर्यया पौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग के निर्माण कार्य का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत लम्बाई 7.750 किमी०।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारचूला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पर्ययापौड़ी से तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग का कार्य। (लम्बाई 7.750 कि०मी०) (2.975 हे० राज्य/सिविल सोयम वन भूमि मलुवानिस्तारण सहित, 3.600 हे० नाप भूमि, 0.900 हे० बन्दोबस्ती नक्शों में प्रदर्शित नहीं एवं भू-अभिलेखों में अंकित नहीं भूमि अर्थात् कुल 3.975 हे० वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धारचूला) की दिनांक 29.12.20 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री र. के. शुक्ला, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| 1- श्री <u>र. के. शुक्ला</u> | उपजिलाधिकारी | धारचूला | अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>नवीन नन्दपुत</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | विद्याराज | सदस्य |
| 3- श्री <u>कुलदीप शर्मा</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | लालू | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री <u>लक्ष्मी देवी</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र | 14-जुम्मा | सदस्य |
| 4- श्री <u>प्रेम सिंह न्याल</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र | दुग्ग | सदस्य |
| 4- श्री <u>मनोज सिंह ग्वाल</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र | 07-बौन | सदस्य |

र. के. शुक्ला
उप जिलाधिकारी
बीडीहाट
पिथौरागढ़ वन विभाग

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पर्ययापौड़ी से तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग का कार्य। (लम्बाई 7.750 कि०मी०) परियोजना हेतु 2.975 हे० वनभूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पर्ययापौड़ी से तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग का कार्य (लम्बाई 7.750 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु 2.975 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

लक्ष्मी देवी

(लक्ष्मी देवी)
सदस्य क्षेत्र पंचायत
14-जुम्मा उत्तर
वि०ख०- धारचूला

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-धारचूला
जनपद - पिथौरागढ़।

मनोज सिंह ग्वाल
सदस्य
क्षेत्र पंचायत दुग्ग
वि० ख० धारचूला (पिथौरागढ़)

मनोज सिंह ग्वाल
सदस्य क्षेत्र पंचायत 07- बौन
वि०ख०-धारचूला (पिथौरागढ़)

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पर्यया पौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग के निर्माण कार्य का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत लम्बाई 7.750 किमी0।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़।

अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पर्ययापौड़ी से तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 7.750 किमी0 (2.975 हे0 राज्य/सिविल भूमि मलुवानिस्तारण सहित, 3.600 हे0 नाप भूमि, 0.900 हे0 हाल बन्दोबस्ती नक्शों में प्रदर्शित नहीं एवं भू-अभिलेखों में अंकित नहीं भूमि अर्थात कुल 3.675 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (जिला-पिथौरागढ़) की दिनांक 19.01.21 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री श्री विजय कुमार जेठादेवी जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री <u>श्री विजय कुमार जेठादेवी</u>	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- श्री <u>श्री विजय कुमार जेठादेवी</u>	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3- श्री <u>श्री विजय कुमार जेठादेवी</u>	समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4- श्री <u>श्री विजय कुमार जेठादेवी</u>	जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र	सदस्य
5- श्री <u>श्री विजय कुमार जेठादेवी</u>	जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र	सदस्य
6- श्री <u>श्री विजय कुमार जेठादेवी</u>	जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र	सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पर्यया पौड़ी से तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग के निर्माण परियोजना हेतु 2.975 हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पर्ययापौड़ी से तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग की लम्बाई 7.750 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु 2.975 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

जिलाधिकारी (अक्षयक्ष)

पिथौरागढ़।

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य)

पिथौरागढ़।

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव
पिथौरागढ़।

जिला पंचायत
सदस्य(सदस्य)

क्षेत्र
सदस्य

जिला पंचायत खेला 02
धारचूला (पिथौरागढ़)

जिला पंचायत सदस्य(सदस्य)
क्षेत्र
मेतली (पिथौरागढ़)

जिला पंचायत सदस्य(सदस्य)

क्षेत्र
09नाका, पिथौरागढ़

No. 79

Dated-19.07.2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliances of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognitions of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.875 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of PWD ~~Ashtoli~~ (name of user agency) for **Payya To Toli Gwalgow** motor road (purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh district falls within jurisdiction of **Payya & Toli** village (s) in **Dharchula** Tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.875 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II
(For projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No-79

Dated 19.07.2021

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognitions of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 3.875 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **P.W.D. Askote** (Name of user agency) for **Payya To Toli Gwalgow Motor Road** (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh District falls within jurisdiction for **Payya & Toli** village (s) in **Dharchula** tehsils.

It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....

the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.



Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. *Dr. Vijay Kumar Jagtap* I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated *19.01.21* at time *12:00 AM* at Pithoragarh in which application claiming rights in area measuring *3875* Hect. for the construction of for **Payy To Toli Gwalgow** Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Dharchula** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh

Dated: *19.01.21*


Deputy Commissioner cum-Chairman
District Lev